न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बिजेन्द्र कुमार मीना आर ए एस

प्रार्थना पत्र 26/2017

1. कंवरपाल पुत्र भौरया जाति गुर्जर उम्र वर्ष निवासी कुआगांव तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर ..प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाविशन पुत्र मोहन लाल गुर्जर
2. हरिसिंह पुत्र छीतर सिंह
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र छीतर सिंह
4. सुमेर सिंह पुत्र मनोहर सिंह
5. दिपित सिंह पुत्र मनोहर सिंह
6. बहादुरसिंह पुत्र भीम सिंह
7. बलवीर सिंह पुत्र भीम सिंह
8. नरेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह
9. गजेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह
10. उर्मिला बाई पुत्री भीमसिंह
11. हिम्मत कंवर पत्नि भीम सिंह
    समस्त जाति राजपूत निवासी कुआगांव तहसील बोली
12. शाखा प्रबंधक, बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बौली
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर .. अप्रार्थीयान

उप जिला कलेक्टर बौली जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राजमल जैन एडवोकेट प्रार्थी की और से
श्री राजेश कुमार कुर्मी एडवोकेट प्रार्थीयान की और से

आदेश

दिनांक 23/10/17

प्रार्थी की और से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया कि ग्राम कुआगांव की आराजी खाता सं.15 में अंकित आराजी ख.नं. 291 रकबा 5.73 है, ख. नं.292 रकबा 0.01 है, खसरा नं.293 रकबा 2.61 है, खसरा नं.321 रकबा 2.28 है. कुल किता 4 कुल रकबा 10.63 हैक्टर भूमि मे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थी सं.1 ल.11 का हिस्सा 3/4 हैं जिस प्रार्थी व अप्रार्थीयान का कब्जा व काश्त चला आ रहा हैं। उक्त आराजीयात का प्रार्थी व अप्रार्थीयान ने आपसी से विभाजन कर रखा हैं तथा उसी के आधार पर अपने हिस्सेअनुसार भूमि पर प्रार्थी ने मकानात बना रखे हैं तथा उनमे रहवास करता आ रहा हैं। उक्त आराजीयात का आपसी सहमति से विभाजन कर रखा हैं लेकिन विधिवत तकासमा नहीं हुआ हैं। इस

(बिजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

कारण अब काश्त करने मे व्यवधान पैदा होने लगा हैं। अप्रार्थीयान उक्त आराजीयात को बेचान करने पर आमादा हैं अतः जब तक विधिवत तकासमा न हो तब तक बेचान न करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीयान की और से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि आराजीयात मुतनाजा में अप्रार्थी सं.1 का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थी सं.2 ल.11 का 1/2 हिस्सा हैं जो अप्रार्थीयान की पुश्तेनी हैं जिसपर कदीम से काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं प्रार्थी ने यह आराजीयात हमारे हीं वंश के आदमियो से खरीद की हैं। आराजीयात मुतनाजा पर बजमाने बुजुर्गान से काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं । आपसी सहमति से विभाजन कर रखा हैं तो फिर किस आधार पर यह दावा लाया हैं इसका कोई औचित्य वाद पत्र मे दर्ज नहीं किया। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि में मकानात बना रखते हैं तथा उनमे रहवास करता आ रहा हैं इसके समर्थन में प्रार्थी ने नजरी नक्शा भी पेश नहीं किया हैं ना हीं यह दर्ज किया कि उसके मकानात किस खसरा नं. मे कितने रकबे मेब ने हुये हैं जो आवश्यक हैं। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण हिस्से में मकानात बनाये हुये नहीं हैं बल्कि स्पेशिफिक जगह पर हीं मकानात बनाये हुये हैं उनका हवाला नहीं देकर अदालत को गुमराह करने की गरज से दावा किया गया हैं प्रार्थी व अप्रार्थी अपने अपने हिस्से की जमीन पर काबिज व काश्त करते आ रहे हैं अप्रार्थीयान को यह हक प्राप्त हैं कि वह अपने हिस्से की आराजीयात को रहन बय करें प्रार्थी को इस बाबत न्यायालय हाजा से आदेश प्राप्त करने का हक नहीं हैं। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णणीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीयान के पक्ष में हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया।

विधि में व्यवस्था स्थापित हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थी को अपने पक्ष मे निम्न तीन बिन्दु सिध्द करने हैं जिनकी हम बिन्दुवार निम्न प्रकार विवेचना करते हैं।

1. <u>प्रथम दृष्टया केस</u> :– प्रार्थी एवं अप्रार्थीयान की संयुक्त खातेदारी की आराजी ग्राम कुआ गांव में वाके हैं जो ग्राम कुआगांव की आराजी खाता सं.15 में अंकित आराजी ख.नं. 291 रकबा 5.73 है, ख.नं.292 रकबा 0.01 है, खसरा नं.293 रकबा 2.61 है, खसरा नं.321 रकबा 2.28 है. कुल किता 4 कुल रकबा 10.63 हैक्टर भूमि मे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थी सं.1 ल.11 का हिस्सा 3/4 हैं । उभय पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की हैं तथा आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा कर रखा हैं तथा उसी के अनुसार काबिज व काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि उसी के हिस्से की भूमि

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

में उसने मकानात बनाकर रहवास कर रहे हैं लेकिन प्रार्थी ने कोई नजरी नक्शा पेश नहीं किया कि किस खसरा नम्बर में उसने मकानात बनाकर रहवास कर रहा हैं। जो कि अनिवार्य हैं। उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस सिध्द नहीं होता।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णणीय क्षति :– चूँकि विस्तृत में प्रथम दृष्टया केस की जा चुकी हैं प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीयान के पक्ष में सिध्द नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीयान के पक्ष में सिध्द होने का प्रश्न हीं नहीं होता । अतः यह दोनों बिन्दु भी प्रार्थीयान के पक्ष में सिध्द नहीं हैं ।

चूँकि उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थीया सं.1 के पक्ष में सिध्द नहीं पाये गयें हैं। लेकिन प्रार्थी एवं अप्रार्थीयान की आराजीयात मुतनाजा संयुक्त खातेदारी की हैं तथा उभय पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि प्रार्थी ने अपने हिस्से में मकानात बनाकर रहवास कर रहा हें तथा सहमति के आधार पर तकासका कर अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं । ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में हम उभय पक्ष के लिये निम्न आदेश प्रतिपादित करना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता हैं चूँकि ग्राम कुआगांव की आराजी खाता सं.15 में अंकित आराजी ख.नं. 291 रकबा 5.73 है, ख.नं.292 रकबा 0.01 है, खसरा नं.293 रकबा 2.61 है, खसरा नं.321 रकबा 2.28 है. कुल किता 4 कुल रकबा 10.63 हैक्टर के किसी भी रकबे में प्रार्थी के मकानात वाके हैं तो प्रार्थी के मकानात एवं प्रार्थी के हिस्सा 1/4 की हद तक अप्रार्थीयान रहन बय या अन्य तरह से मुन्तकिल नहीं करें । साथ हीं अप्रार्थीयान उक्त आराजीयात में अपने हिस्से 3/4 की आराजी को रहन, बय एवं अन्य तरह से मुन्तकिल करने हेतु स्वतंत्र होगें। अंतरिम आदेश दिनांक 24.5.2017 विड्रो किया जाता हैं।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर
बौली, जिला स.मा.,

आदेश आज दिनांक 23/10/17 को निवृत न्यायालय मे लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया ।

उप जिला कलक्टर
(विजेन्द्र कुमार मीना)
बौली, जिला स.मा.

Scanned by CamScanner